



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22062026-273714
CG-DL-E-22062026-273714

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3155]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 22, 2026/आषाढ 1, 1948

No. 3155]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 22, 2026/ASHADHA 1, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2026

का.आ. 3281(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से NH-465 उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन क्रमांक-7(मोहोळ), सोलापूर के कि.मी.0.00 से कि.मी.31.400 और उपविभागीय अधिकारी, सोलापूर क्र. २, सोलापूर के कि.मी.31.400 से कि.मी.82.00 तक महाराष्ट्र राज्य के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH465 पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन क्रमांक- 7(मोहोळ), सोलापूर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH465 के कि.मी 0 से कि.मी 31.4 तक	महाराष्ट्र	सोलापूर	मोहोळ	1 मोहोळ 2 धोकबाबूळगांव 3 नजिक पिंपरी 4 सय्यदवरवडे 5 कुरूल 6 परमेश्वर पिंपरी 7 कामती खुर्द 8 कामती बुद्रुक 9 कोरवली
2	उपविभागीय अधिकारी, सोलापूर क्र. २, सोलापूर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH465 के कि.मी 31.4 से कि.मी 82 तक	महाराष्ट्र	सोलापूर	दक्षिण सोलापूर	1 वलसंग 2 आचेगांव 3 आलेगांव 4 आहेरवाडी 5 सिंदखेड 6 राजुर 7 संजवाड 8 बंकलगी 9 बोरूळ 10 कणबस 11 इंगळगी 12 मंदूप

						13	होनमुर्गी
						14	औराद
						15	बसव नगर
						16	कंदलगांव
						17	अंत्रोळी
						18	येळेगांव

[फा.सं. RW/NH-12014/03/2025-MAH/Zone-IV]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd June, 2026

S.O. 3281(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of km. 0.00 to Km. 31.4 of office of the Deputy Collector Land Acquisition No-7 (Mohol), Solapur and Km.31.400 to Km.82.00 of Office of the Sub Divisional Officer, Solapur No-2, Solapur NH-465 in the State of MAHARASHTRA.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH465 in the State of MAHARASHTRA.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	Dy.CollectorLANo-7(Mohol), Solapur	NH465 KM 0 TO KM 31.4	MAHARASHTRA	SOLAPUR	Mohol	1 Mohol 2 Dhokbabulgaon 3 Najik Pimpri 4 Syiad Warvade 5 Kurul 6 Parmeshwar-pimpri 7 Kamati Khurd 8 Kamati Budruk 9 Korvali
2	SDO,SolapurNo-2, Solapur	NH465 KM 31.4 TO KM 82	MAHARASHTRA	SOLAPUR	Solapur South	1 Valsang 2 Achegaon 3 Alegaon

						4	Aherwadi
						5	Sindkhed
						6	Rajur
						7	Sanjwad
						8	Bankalgi
						9	Borul
						10	Kanbas
						11	Ingalgi
						12	Mandrup
						13	Honmurgi
						14	Aurad
						15	Basav Nagar
						16	Kandalgaon
						17	Antroli
						18	Yelegaon

[F. No. RW/NH-12014/03/2025-MAH/Zone-IV]

SHAIKH AMINKHAN, Director